

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक 13.07.2020


—:आदेश:—

जन घोषणा पत्र में ऊँटों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु की गई घोषणा यथा “प्रदेश में ऊँटों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए विशेष नीति बनाई जायेगी।” के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण कर अनुशांषा करने हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:—

- |   |        |
|---|--------|
| 1. मंत्री, पशुपालन विभाग।                   | संयोजक |
| 2. मंत्री, डेयरी विभाग।                     | सदस्य  |
| 3. राज्यमंत्री, वन विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। | सदस्य  |

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।  
उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, पशुपालन विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(डॉ. प्रीतम बी. यशवन्त)  
शासन सचिव

प्रतिलिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव